न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या – 151/2025 (प्रार्थना पत्र)
दायर दिनांक – 18/12/2025
निर्णय दिनांक – 18/12/2025

अनवान

1. चुन्नीलाल पिता तुलच्छा जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द व अन्य।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम कलालों की आंती पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 322 में प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खातें में प्रार्थीगण के नाम चुन्नीलाल पिता तुलच्छा जाति कलाल हिस्सा 1/3, नवलराम पिता बालू जाति कलाल हिस्सा 1/3, सुखलाल पिता भूरा जाति सुथार हिस्सा 1/3, जिसके स्थान पर खाता संख्या 322 चुन्नीलाल पिता तुलच्छा हिस्सा 1/2, नवलराम पुत्र बालु 1/6, सुखलाल पिता भूरा हिस्सा 2/6 शुद्धि कराए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम कलालों की आंती पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 322 में चुन्नीलाल पिता तुलच्छा जाति कलाल हिस्सा 1/3, नवलराम पिता बालू जाति कलाल हिस्सा 1/3, सुखलाल पिता भूरा जाति सुथार हिस्सा 1/3, रिकॉर्ड है। पटवार हल्का लसानी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार देवगढ़ द्वारा राजस्व ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 322 चुन्नीलाल पिता तुलच्छा हिस्सा 1/2, नवलराम पुत्र बालु 1/6, सुखलाल पिता भूरा हिस्सा 2/6 दर्ज किए जाने की अनुशंषा की गई। इसी कम में चुनीलाल व नवलराम के बयान लेखबद्ध किए गए। इसी कम में राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम कलालों की आंती में जमाबन्दी संवत् 2070–73, 2062–65, में सुखलाल पिता भूरा हिस्सा 2/6, नवलराम पिता बालु 1/6 एवं चुनीलाल पिता तुलच्छा कलाल दर्ज रिकॉड है। अवधि बन्दोस्त 2069 में सुखलाल पिता भूरा हिस्सा 2/6, नवलराम पिता बालु 1/6 एवं चुनीलाल पिता तुलच्छा कलाल दर्ज है। जमाबन्दी सवंत् 2042–45 में ग्राम कलालों की आंती खसरा संख्या 234 रकबा 04 बीघा 09 विस्वा में बालू पिता हाजु, तुलछा पिता सुवा कलाल अंकित है। अतः उक्त अभिलेख के अवलोकन अनुसार खाता संख्या 322 में खातेदारों के हिस्से को शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राजस्व ग्राम कलालों की आंती पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 322 में प्रार्थीगण के नाम चुन्नीलाल पिता तुलच्छा जाति कलाल हिस्सा 1/3, नवलराम पिता बालू जाति कलाल हिस्सा 1/3, सुखलाल पिता भूरा जाति सुथार हिस्सा 1/3 के स्थान पर खाता संख्या 322 में चुन्नीलाल पिता तुलच्छा हिस्सा 1/2, नवलराम पुत्र बालु 1/6, सुखलाल पिता भूरा हिस्सा 2/6 हिस्सा दुरस्ती किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। यदि कोई न्यायालय स्थगन या राजकीय हित प्रभावित होता है तो तदानुसार कार्यवाही की जावे, अन्यथा निर्णय अनुसार पालना की जावे। यदि रहन का अंकन है तो तदनुसार अंकित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

ह०

(मोहकमसिंह सिनसिनवार, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)